

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या ०८/२०१९

प्रथम पक्ष :-

1. मानिक लाल हेग्नम पिता स्व० सतीश चन्द्र गांधी, सा० रिजुआ थाना-बालीडीह जिला-बोकारो।

:- बनाम :-

द्वितीय पक्ष :-

1. बब्लू सिंह (आर्य बिहार के प्रोप्राईटर) उर्फ आशुतोष कुमार गीतम पे० सिंह सा० प्लॉटन० 136, कॉअपरेटिव कालौनी, थाना-बी० एस० सिटी, जिला-बोकारो।

कार्यवाही

थाना प्रभारी बालीडीह के अप्राथमिकी संख्या-08/2018 जो पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी बालीडीह थाना के माध्यम से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
सिजुआ	बालीडीह	87	2842	03 एकड 42डी०

चौहद्दी

उत्तर:- प्रथम पक्ष का।

पूरब:- बजीर ममीन का खाली जमीन।

दक्षिण :- पी०सी०सी०सडक बाद बजीर ममीन का घर।

पश्चिम:- रामु मंडल का मकान।

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 21.1.19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

21.1.19 सूचना का तामिला प्राप्त।

द्वितीय पक्ष के स/क हेतु समग्र रूप

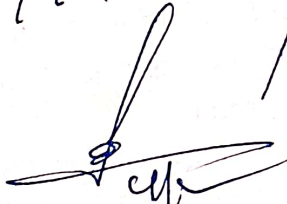
आवेदन है। प्रथम पक्ष अउपस्थित।

दिनांक 21.1.19 को करें

S.D.M
(cha)

4/1/19 प्रथम पक्ष के रात सहाय्य का
 हाजरी है २/८ हेतु समय का
 आवेदन है। द्वितीय पक्ष का और
 से २/८ हेतु समय का आवेदन
 है।

आदेश रजिस्ट्रार / कमिश्नर

दिनांक 18/1/19 को रजि


18/2/19 प्रथम पक्ष के वकालतन हाजरी है
 २/८ हेतु समय का आवेदन है
 द्वितीय पक्ष के और से २/८
 हेतु समय का आवेदन है।

first party absent in court as well.
 time limitation filed by the parties allowed.
 but up on 28/2



23/2/19 द्वितीय पक्ष का वकालतन हाजरी है
 २/८ हेतु समय का आवेदन है
 प्रथम पक्ष के वकालतन हाजरी है
 २/८ हेतु समय का आवेदन है
 दिनांक 7/3/19 को रजि

S.D.M
 Chas

06/03/19

नं सं 560

आदेश और पदा

प्रथम पक्ष के एक
 २/८ तमाम २/८ को
 द्वितीय पक्ष का
 समय का

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हामी है। तथा 5/12 दाखिल किया गया
द्वितीय पक्ष के ओर से 5/12 हेतु
समय का आवेदन है। प्रथम पक्ष
के ओर से वकालत का किया
गया दाखिल किया।

लिखित बहस के
को निर्देश प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष से
दिनांक 08/03/19
08/03/19

8/3/19

प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हामी है
द्वितीय पक्ष की ओर से वकालत का हामी है
तथा 5/12 दाखिल किया गया।
दिनांक 9/3/19 को सर्व

9/3/19

प्रथम पक्ष का वकालत का हामी है
तथा दिनांक 13/3/19 को सर्व

13/3/19

द्वितीय पक्ष के वकालत का हामी है
दिनांक 16/3/19 को सर्व

16/3/19

प्रथम पक्ष उपस्थित।
दिनांक 27/3/19 को सर्व

S.O.M
Chas

S.O.M
Chas

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

27/3/19

उभय पक्ष सहमत हुए।
दिनांक 31/3/19 को रखे

03/5/19

दि० पक्ष के वकालत हाजरे हैं ^{S.O.M} ^{Chas}
दिनांक 12/6/19 को रखे

12/6/19

दि० पक्ष के ओर से वकालत ^{S.O.M}
हाजरे हैं। ^{Chas}

काल बाधित होने के कारण बाद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

12.6.19

12/07/19